न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 642/2022

अनवान : –

1. इन्द्राज
2. कृष्ण
3. हंसराज
4. साहबराम

(1 से 4) पि0 अमीचन्द जाति नायक निवासी ढाणी लालखं तहसील नोहर।

5. किस्तुरी पत्नी नत्थूराम जाति नायक निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
6. राकेश पुत्र नत्थूराम जाति नायक निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
7. राजु पुत्र नत्थूराम जाति नायक निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
8. सुमन पुत्री नत्थूराम जाति नायक निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
9. पूजा पुत्री नत्थूराम जाति नायक निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 5/4/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 277/277 की कुल 8.8840है0 भूमि इन्द्राज पुत्र मनीराम, कृष्ण पुत्र मनीराम, साहबराम पुत्र मनीराम व कालुराम पुत्र अमीचन्द तथा मृतक नत्थुराम प्रत्येक के 1/40 हिस्सा भूमि तथा खाता स0 81/80 की कुल 4.8180है0 भूमि में से वादी स0 1, 2, 3, 4 तथा मृतक नत्थुराम प्रत्येक के 1/20 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

वादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। उक्त वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है। नत्थुराम पुत्र अमीचन्द/मनीराम जाति नायक जो कि फौत हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण स0 5 ता 9 है। रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 277/277 की कुल 8.8840है0 भूमि एवं रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 81/80 दोनो खातो की भूमि में मृतक नत्थुराम पुत्र अमीचन्द का नाम कलमजद कर नत्थुराम के जायज वारिसान वादी स0 5 ता 9 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 81/80 की कुल 4.8180है भूमि का नामान्तरकण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:58:40 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज करते समय वादीगण स0 1 व 4 तथा मृतक नत्थुराम के पिता का नाम अमीचन्द दर्ज कर दिया है, जो सही दर्ज किया गया है लेकिन रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 277/277 की कुल 8.8840है0 भूमि में इन्द्राज पुत्र मनीराम, कृष्ण पुत्र मनीराम, साहबराम पुत्र मनीराम, कालुराम पुत्र अमीचन्द व मृतक नत्थुराम पुत्र मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो की सही नही है अतः कालुराम पुत्र अमीचन्द के स्थान पर हंसराज पुत्र अमीचन्द व इन्द्राज, कृष्ण, साहबराम, नत्थुराम पि0 मनीराम के स्थान पर इन्द्राज, कृष्ण, साहबराम, नत्थुराम पि0 अमीचन्द दर्ज किया जावें। जो कि वादीगण के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल आदि में अंकित है।

वादी ने प्रतिवादी को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 पेरोकार राज द्वारा जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार नोहर के पत्रांक 2051 दिनांक 16.02.2023 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई कि रोही मौजा भूकरका खाता स0 277 में इन्द्राज, कृष्ण, हंसराज, साहबराम के पिता का नाम अमीचन्द दुरूस्त किया जाना उचित है। वादीगण ने वाद के समर्थन मे बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबदी सम्वत 2070–73 रोही मौजा भूकरका खाता स0 81/80 ईएक्सपी–1, जमाबंदी सम्वत 2070–2073 रोही मौजा भूकरका खाता स0 277/277 ईएक्सपी–2, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र नत्थुराम ईएक्सपी–3, शपथ पत्र सदस्य प्रमाण पत्र ईएक्सपी–4 आदि पेश किये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। नत्थुराम पुत्र अमीचन्द/मनीराम जाति नायक जो कि फौत हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण स0 5 ता 9 है। रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 277/277 की कुल 8.8840है0 भूमि वादी स0 1 ता 4 तथा मृतक अमीचन्द प्रत्येक के नाम 1/40 हिस्सा भूमि दर्ज है में मृतक नत्थुराम के जायज वारिसान वादी स0 5 ता 9 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 81/80 में मृतक नत्थुराम पुत्र अमीचन्द का 1/20 हिस्सा भूमि में नत्थुराम का नाम कलमजन कर नत्थुराम के जायज वारिसान वादी स0 5 ता [illegible] बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं खाता स0 277/277 में वादीगण [illegible] मृतक नत्थुराम के पिता का नाम मनीराम के स्थान पर सही नाम अमीचन्द [illegible] किया जावें एवं कालुराम पुत्र अमीचन्द के स्थान पर सही नाम हंसराज पुत्र अमीचन्द दुरूस्त [illegible]या जावें जो कि जमाबंदी रोही मौजा भूकरका खाता स0 81/80, आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र आदि में अंकित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:58:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 277/277 की कुल 8.8840है0 भूमि वादी स0 1 ता 4 तथा मृतक अमीचन्द के नाम दर्ज है एवं खाता स0 81/80 की कुल 4.8180है0 भूमि में से वादी स0 1 ता 4 तथा मृतक नत्थुराम प्रत्येक के 1/20 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उक्त वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी स0 6 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर मृतक नत्थूराम के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। खाता स0 81/80 में वादीगण के पिता का नाम अमीचन्द एवं खाता स0 277/277 में अमीचन्द की जगह मनीराम दर्ज है। अतः रोही मौजा भूकरका के खाता स0 277/277 में वादीगण के पिता का नाम मनीराम की जगह अमीचन्द एवं कालुराम पुत्र अमीचन्द के स्थान पर हंसराज पुत्र अमीचन्द करवाने का निवेदन किया है जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर सही किया जाना उचित हैं। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अंतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार, भू0अ0 निरीक्षक एवं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 277/277 की कुल 8.8840है0 भूमि इन्द्राज पुत्र मनीराम, कृष्ण पुत्र मनीराम, साहबराम पुत्र मनीराम व कालुराम पुत्र अमीचन्द तथा मृतक नत्थुराम पुत्र मनीराम प्रत्येक के 1/40 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं, में इन्द्राज पुत्र मनीराम, कृष्ण पुत्र मनीराम, साहबराम पुत्र मनीराम व कालुराम पुत्र अमीचन्द तथा मृतक नत्थुराम पुत्र मनीराम दर्ज है। इन्द्राज, कृष्ण, साहबराम व मृतक नत्थुराम के पिता का नाम मनीराम के स्थान पर अमीचन्द एवं कालुराम पुत्र अमीचन्द के स्थान पर हंसराज पुत्र अमीचन्द दर्ज किया जाता है एवं रोही मौज़ा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 277/277 की कुल 8.8840है0 भूमि में से 1/40 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा भूकरका के खाता स0 81/80 की कुल 4.8180है0 भूमि में 1/20 हिस्सा भूमि मृतक नत्थुराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, दोनो खातों में मृतक नत्थुराम का नाम कलमजन कर वादीगण स0 5 ता 9 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 5/4/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:58:40 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 642/2022

अनवान : –

1. इन्द्राज 2. कृष्ण 3. हंसराज 4. साहबराम	पि0 अमीचन्द जाति नायक निवासी ढाणी लालखं तहसील नोहर।

5. किस्तुरी पत्नी नत्थूराम जाति नायक निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
6. राकेश पुत्र नत्थूराम जाति नायक निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
7. राजु पुत्र नत्थूराम जाति नायक निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
8. सुमन पुत्री नत्थूराम जाति नायक निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
9. पूजा पुत्री नत्थूराम जाति नायक निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

–**प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 642 सन 2022 निर्णय दिनांक 5/4/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री कुलदीप खुडिया व पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं तहसीलदार, भू0अ0 निरीक्षक एवं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 277/277 की कुल 8.8840है0 भूमि इन्द्राज पुत्र मनीराम, कृष्ण पुत्र मनीराम, साहबराम पुत्र मनीराम व कालुराम पुत्र अमीचन्द तथा मृतक नत्थुराम पुत्र मनीराम प्रत्येक के 1/40 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं, में इन्द्राज पुत्र मनीराम, कृष्ण पुत्र मनीराम, साहबराम पुत्र मनीराम व कालुराम पुत्र अमीचन्द तथा मृतक नत्थुराम पुत्र मनीराम दर्ज है। इन्द्राज, कृष्ण, साहबराम व मृतक नत्थुराम के पिता का नाम मनीराम के स्थान पर अमीचन्द एवं कालुराम पुत्र अमीचन्द के स्थान पर हंसराज पुत्र अमीचन्द दर्ज किया जाता है एवं रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 277/277 की कुल 8.8840है0 भूमि में से 1/40 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा भूकरका के खाता स0 81/80 की कुल 4.8180है0 भूमि में 1/20 हिस्सा भूमि मृतक नत्थुराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, दोनो खातों में मृतक नत्थुराम का नाम कलमजन कर वादीगण स0 5 ता 9 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 5/4/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:58:40 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर